



भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-  
पेस), आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7<sup>वीं</sup> मंज़िल,  
प्लॉट P-6,7,8, से.-5, आई.एम्.टी. मानेसर,  
गुडगाँव, हरियाणा - 122050.  
Email: [roc.cpace@mca.gov.in](mailto:roc.cpace@mca.gov.in)



Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Centre for Processing Accelerated  
Corporate Exit (C-PACE)  
IICA Building, 7<sup>th</sup> Floor,  
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,  
Gurgaon, Haryana - 122050.

### प्रारूप संख्या एसटीके-6

### सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस No.ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/1012

दिनांक : -14.02.2024

### संदर्भ:

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित 3 कम्पनी का नाम हटाने के मामले में:

| S. No | Work Item | CIN                   | हिंदी नाम   |
|-------|-----------|-----------------------|---|
| 1     | AA6748941 | U55101HP2011PLC000017 | गिरिसा रिसॉर्ट्स लिमिटेड                          |
| 2     | AA6750793 | U45209HP2018OPC006933 | सुनैना एनवायरो इंफ्राटेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 3     | AA6725144 | U17299HP2021PTC008828 | कनिटिंग हट्स प्राइवेट लिमिटेड                     |

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

- 1 -



(हरिहर साहू)

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

~~HARIHARA~~  
~~SAHOO~~

Digitally signed by HARIHARA SAHOO  
DN: c=IN, o=OFFICE OF THE REGIONAL DIRECTOR (ER),  
KOLKATA, ou=JOINT DIRECTOR,  
2.5.4.20=d3638cfc26582a739e5af9078931581203b2d994  
221d433833d3a732822dcb9e, postalCode=700020,  
st=WEST BENGAL,  
serialNumber=b7121ae2e42ce56330406eb4f58443e73d1  
9b2759d047b4b0a57fcbfcb388405, cn=HARIHARA  
SAHOO  
Date: 2024.02.14 14:38:11 +05'30'

cbc 07123/11/0454/2324